(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 16–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 551/अपील/2015–16.

1–सूरजसिंह पुत्र बलवीर सिंह
2–बंटी पुत्रगण बलवीरसिंह
3–सोनू पुत्र विध्याराम
4–संजू पुत्र सीताराम
5–पंचम पुत्र सूबेसिंह
समस्त निवासी गणेश मंदिर के सामने बहोड़ापुर
ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–अनिल पुत्र मोतीलाल जैन
2–शेलैन्द्र पुत्र सतीशचन्द
समस्त निवासी दानाओली लश्कर ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अशोक भार्गव एवं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, अभिभाषकगण, आवेदकगण
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया गया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 465 लगायत 475 एवं 476/मिन–1 बहोडापुर पर आवेदकगण द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी की ओर से तहसील न्यायालय में प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20–04–2016 को आदेश पारित कर आवेदक पर रुपये 1,14,10,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये हैं । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–6–2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–12–2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैः–

(1) आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन वास्ते कब्जा वापसी में भूमि सर्वे कमांक 465 से 475 स्थित ग्राम बहोडापुर ग्वालियर के विषय में स्वयं को भूमिस्वामी निरूपित करते हुये कब्जा वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(2) संहिता की धारा 250 में अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनःस्थापन के विषय में प्रावधान वर्णित किये है जिसके अन्तर्गत समयावधि धारा 250(क) वर्णित है जिसमें प्रावधान है कि निर्धारित अवधि में आवेदन किया जाना आवश्यक है ।

(3) आवेदक द्वारा मिथ्या रूप से प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1988 में सम्पादित कतिपय विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाना अभिकथित किया है जबकि निगरानीकर्तागण का संदर्भित भूमि सर्वे नम्बरान पर व संबंधित भू–भाग पर से रिहायशी मकानियत पर आधिपत्य पूर्वजों के समय से वर्ष 1988 के पूर्व से निरन्तर वर्तमान में चला आ रहा है ।

(4) वीरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापराव निवासी तालुका चिकौड़ी जिला बेलगांव कर्नाटका व अन्य द्वारा प्रति निगरानीकर्ता अनिलकुमार व शैलेन्द्र कुमार एवं तथाकथित विक्रेता प्रभात कुमार, प्रमोद कुमार के विरूद्ध अपने द्वारा कोई भी विक्रय पत्र अथवा उनके किसी पूर्वज द्वारा कोई भी विक्रय अथवा लिखतम जिसके माध्यम से एवं आधार पर विक्रय पत्र दिनांकित 16–6–1988 प्रति निगरानीकर्ता के हित में किया जा सके, नहीं किया जाना सद्भूदित कर वर्तमान वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रचलनशील है।

(5) विक्रय पत्र के माध्यम से अभिकथित भूमि स्वामी अधिकारी के आधार पर विषयान्तर्गत सर्वे नम्बरान पर स्थित रिहायशी मकानियत से स्वयं को मिथ्या रूप से भवनस्वामी निरूपित करते हुये प्रति निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध व्यवहार वाद दिनांक 16–1–2008 को संस्थित किया जो कि वाद क्रमांक 111–ए/2009 के रूप में पंजीकृत हुआ है जिसमें निगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 जर्ये पिता द्वारा प्रति निगरानीकर्ता से किसी भी किस्मी भवन स्वामी के अधिकार होने से स्पष्ट रूप से नकारा है तथा इस बावत् निर्णय किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिमतः को प्राप्त नहीं हुआ है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 16156/2017 में पारित अन्तरिम आदेश से निगरानी कर्ता

क्रमांक 1 व 2 के पिता बलवीर सिंह के हित में कब्जे से बेदखल को निषेधित किया गया है ।

(6) राजस्व न्यायालय को भूमिस्वामी के विषय में निर्धारण का अधिकार प्राप्त नहीं है एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण के पक्ष में निगरानीकर्तागण के विरूद्ध भूमिस्वामी । भवन स्वामी विषयक प्रथम दृष्टया अवधारण अभिखण्डित नहीं है इसलिये प्रतिनिगरानीकर्तागण का संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) प्रश्नाधीन संपत्ति पर आवेदकगण का निरन्तर आधिपत्य पूर्वजों के समय से चला आ रहा है । आवेदकगण के हित में नगर पालिका निगम ग्वालियर द्वारा जारी की गई कतिपय पावॅतियॉ मय सूची दस्तावेज पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके आधार पर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

(8) संहिता की धारा 111, 178, 250 में विद्यमान उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायदृष्टांतों के आलोप में वर्तमान अवस्था में प्रकिया अन्तर्गत धारा 250 आवेदकगण के विरूद्ध अपास्त किये जाने एवं कियान्वित न किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1976 एमपीएलजे 325 (पूर्णपीठ) नेक परवीन बनाम चमकलाल एवं 2000 आरएन 80 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4– आवेदकगण की ओर से धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण के निराकरण तक स्थगन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर राजस्व निरीक्षक से मौके की जॉच रिपोर्ट तलब किये जाने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में विवादित भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा किया होना पाया गया है । आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कर सके हैं । आवेदकगण द्वारा किसी भी न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि उसके स्वामित्व की होने की पुष्टि हो सके । आवेदक गण का उक्त भूमि पर कब्जा प्रमाणित है । यह विवाद खुली भूमि पर कब्जे का है, जिस पर कब्जा अवैध होने के दिनांक की पुष्टि अनावेदक द्वारा दायर एफ.आई.आर. से भी होती है, अतिक्रमण की जानकारी होने पर नियत समयावधि में संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई है। तहसील न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार किया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने आवेदकगण द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार कर निष्कर्ष दिये । इस प्रकार तीनों न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में उपलब्ध नहीं है ।

इस संबंध में 1982 आर.एन.36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.